भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4147

उत्तर देने की तारीख 18 जुलाई, 2019
27 आषाढ़, 1941 (शक)

बिहार और महाराष्ट्र के लंबित प्रस्ताव

4147. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः
श्रीमती रमा देवीः
श्री गिरिधारी यादवः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और महाराष्ट्र से प्राप्त खेल और युवा मामलों से संबंधित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव में शामिल लागत/व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक मंजूरी दी गई है और वे किन विषयों से संबंधित हैं ;

(ग) आज की तिथि के अनुसार केंद्रीय स्तर पर अनुमोदन के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावों के लंबित रहने से इन प्रस्तावों के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में देरी और उनकी लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : बिहार और महाराष्ट्र से खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्राप्त खेल संबंधी परियोजनाओं का विवरण, लागत अनुमान और वर्तमान स्थिति के साथ अनुबंध-1 में दिया गया है। बिहार और महाराष्ट्र से गत तीन वर्षों के दौरान युवा मामलों से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ड.): ''खेल'' राज्य का विषय होने के कारण खेल और युवा मामलों संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है।

यह मंत्रालय इस संबंध में राष्ट्रीय खेल परिसंघों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के केंद्रों में प्रशिक्षण द्वारा और खेलो इंडिया स्कीम के तहत सहायता प्रदान कर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को स्कीम के तहत वित्त वर्ष विशेष के लिए आबंटित बजट में ही पूरा किया जाना होता है। तदनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर संबंधित स्कीमों के मानदंडों के तहत विचार किया जाता है और तकनीकी व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन संस्वीकृत किया जाता है।

****

अनुबंध-1

बिहार और महाराष्ट्र के लंबित प्रस्ताव के संबंध में श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, श्रीमती रमा देवी तथा श्री गिरिधारी यादव, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा दिनांक 18.07.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4147 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बिहार और महाराष्ट्र से खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्राप्त खेल संबंधी परियोजनाओं का विवरण

(करोड रु)

महाराष्ट्र			
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**अनुमानित लागत**	**संस्वीकृत अनुदान**
1.	म्युनिसिपल काउंसिल, काटोल, जिला नागपुर में तरणताल का स्तरोन्नयन	5.00	5.00
2.	शिवछत्रपति क्रीडा पीठ स्पोर्ट्स कांपलेक्स, पुणे में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का स्तरोन्नयन और शिवछत्रपति क्रीडा पीठ स्पोर्ट्स कांपलेक्स, पुणे में शूटिंग रेंज का स्तरोन्नयन	18.03	12.87
3.	नासिक नगर निगम में खेल अवसंरचना सुविधाओं नामत: सिटिंग गेलरी, बास्केटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट और खेल अकादमियां तथा प्रशिक्षण केंद्र/ हास्टल का निर्माण	6.00	6.00
4.	मोवाद, जिला नागपुर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	12.72	संस्वीकृत नहीं किया गया
5.	कोल्हापुर में मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड बिछाना	11.40	संस्वीकृत नहीं किया गया
6.	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर में तरणताल का निर्माण	प्रस्ताव अपूर्ण था, अतः संस्वीकृत नहीं किया गया। अनुदानग्राही को आवश्यक औपचारिकताएं पूरा करने के लिए कहा गया। उसका उत्तर प्राप्त होना है।	
7.	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण		
बिहार			
8.	हरिश्चंद्र प्लेग्राउंड नवादा बिहार में बहुउद्देशीय इंदौर हॉल का निर्माण	8.43	वर्ष 2018-19 में परियोजना को 8 करोड़ रुपए की संस्वीकति दी गई।

			पहली किस्त जारी नहीं की जा सकी क्योंकि अनुदानग्राही ने निधि जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया।
9.	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया में प्रकाश व्यवस्था सहित हॉकी मैदान का निर्माण	7.92	प्रस्ताव अपूर्ण था अतः संस्वीकृत नहीं किया गया। अनुदानग्राही को आवश्यक औपचारिकताएं पूरा करने के लिए कहा गया। उसका उत्तर प्राप्त होना है।
10.	पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 8 लेन 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण	9.04	
11.	पूर्णिया विश्वविद्यालय में तरणताल का निर्माण(ऑल वेदर तरणताल)	8.44	

****